



उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की अनुपूरक कार्यसूची

गुरुवार, 30 फाल्गुन, शक संवत्, 1934
(दिनांक : 21 मार्च, 2013)

- 16 (क) (1) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05 निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 123214 हजार (बारह करोड़ बत्तीस लाख चौदह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (2) वित्त मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 31199338 हजार (तीन हजार एक सौ उन्नीस करोड़ तिरानवे लाख अड़तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (3) राजस्व मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 4591653 हजार (चार सौ उन्सठ करोड़ सोलह लाख तिरपन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (4) सहकारिता मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 446265 हजार (चौवालीस करोड़ बासठ लाख पैंसठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

- (5) सिंचाई मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 10220199 हजार (एक हजार बाईस करोड़ एक लाख निन्यानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (6) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 12559134 हजार (एक हजार दो सौ पचपन करोड़ इक्यानबे लाख चौतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (7) ग्राम्य विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 7851573 हजार (सात सौ पचासी करोड़ पन्द्रह लाख तिहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (8) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 2402633 हजार (दो सौ चालीस करोड़ छब्बीस लाख तैंतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (9) पर्यटन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 1474560 हजार (एक सौ सैंतालीस करोड़ पैतालीस लाख साठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

- (10) कृषि मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-29 औद्योगिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 1538781 हजार (एक सौ तिरपन करोड़ सत्तासी लाख इक्कासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (11) शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 48360511 हजार (चार हजार आठ सौ छत्तीस करोड़ पांच लाख ग्यारह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (12) जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 10878773 हजार (एक हजार सत्तासी करोड़ सत्तासी लाख तिहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (13) कृषि मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 11553198 हजार (एक हजार एक सौ पचपन करोड़ इक्कीस लाख अठ्ठानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (14) पशुपालन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 1467345 हजार (एक सौ छियालीस करोड़ तिहत्तर लाख पैतालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

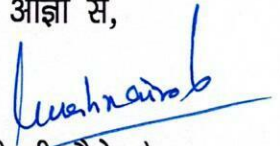
- (15) श्रम एवं रोजगार मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 1215194 हजार (एक सौ इक्कीस करोड़ इक्कावन लाख चौरानबे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (16) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 7803520 हजार (सात सौ अस्सी करोड़ पैंतीस लाख बीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (17) परिवहन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 1043283 हजार (एक सौ चार करोड़ बत्तीस लाख तिरासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (18) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 9466878 हजार (नौ सौ छियालीस करोड़ अरसठ लाख अठहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (19) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 2475838 हजार (दो सौ सैंतालीस करोड़ अठान्न लाख अड़तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

- (20) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिय्यों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 421847 हजार (बयालीस करोड़ अठ्ठारह लाख सैंतालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (21) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03 मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत होने वाले परिय्यों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 272501 हजार (सत्ताईस करोड़ पचीस लाख एक हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (22) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिय्यों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 1561223 हजार (एक सौ छप्पन करोड़ बारह लाख तेईस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (23) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिय्यों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 115815 हजार (ग्यारह करोड़ अठ्ठावन लाख पन्द्रह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (24) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिय्यों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 9861439 हजार (नौ सौ छियासी करोड़ चौदह लाख उन्वालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (25) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिय्यों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 359736 हजार (पैंतीस करोड़ सतानबे लाख छ्तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

- (26) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 6027139 हजार (छः सौ दो करोड़ इक्कहत्तर लाख उन्तालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (27) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 13442802 हजार (एक हजार तीन सौ चौवालीस करोड़ अठ्ठाईस लाख दो हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (28) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 1033572 हजार (एक सौ तीन करोड़ पैंतीस लाख बहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- (29) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 4411183 हजार (चार सौ इक्तालीस करोड़ ग्यारह लाख तिरासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
- 16 (ख) मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
- 16 (ग) मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करेंगे।
- 16 (घ) मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।
- 16 (ङ) मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

- 16 (च) सिंचाई मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय। (30 मिनट)
- 16 (छ) सिंचाई मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक विधेयक, 2013 पारित किया जाय।
- 16 (ज) मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय। (30 मिनट)
- 16 (झ) मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।
- 16 (ञ) मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय। (30 मिनट)
- 16 (ट) मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।
- 16 (ठ) सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय। (30 मिनट)
- 16 (ड) सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

देहरादून :
दिनांक : 21 मार्च, 2013

आज्ञा से,

(डी.पी. गौरोला)
प्रमुख सचिव।